

R4336PBR/श्री 11

प.क. र PDR 116
युक्ति दिनांक :- 13/12/2016

:: न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य- प्रदेश ::

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री अरुणदास शर्मा
प्राथमिक/अभिभाषक द्वारा दिनांक 13-12-2016
को प्रस्तुत।

कृष्णदास पिता बन्नीदास, आयु 70 वर्ष,
जाति बैरागी, व्यवसाय कृषि व पूजा अर्चना
निवासी ग्राम दसई, तहसील सरदारपुर, जिला
धार मध्य- प्रदेश :-- निगरानीकर्ता

857
13-12-2016

अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

विरुद्ध

- 1- ईश्वरदास पिता मोहनदास, आयु 30 वर्ष,
- 2- भगवतीदास पिता मोहनदास, आयु 40 वर्ष,
- 3- पुनीबाई उर्फ अन्नपूर्णाबाई विधवा मोहनदास,
आयु 70 वर्ष, व्यवसाय कृषि, सभी जाति
बैरागी, निवासी गण ग्राम दसई, तहसील सरदारपुर
जिला धार मध्य- प्रदेश :-- विपक्षीय


21.2.17
591

:: निगरानी अर्ज धारा 50 भू राजस्व संहिता के अन्तर्गत ::

मान्यवर महोदय,


श्रीमान् की सेवा में निगरानीकर्ता तरफ से अत्यन्त विनम्रतापूर्वक अर्ज है कि विपक्षियों ने बिना सूचना उल पूर्वक ग्राम दसई तहसील सरदारपुर की भूमि सर्वे क्रमांक 994, 995, 1053, कुल रकबा 3.240 हे०, जो निगरानीकर्ता के नाम से दर्ज है, जिस पर निगरानीकर्ता का नाम व भूमि स्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य है इस संबंध में खसरे में कब्जा दर्ज करने बाबद कार्यवाही विपक्षियों ने तहसीलदार महोदय, तहसील सरदारपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की थी जिस पर से तहसीलदार महोदय, के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 1496/2015-बो/121 दर्ज हुआ उसमें तहसीलदार महोदय, ने ~~वर्ष 2015~~ बिना हितधारी छातेदार को सूचना-पत्र दिशे पटवारी के नाम आदेश जारी कर दिया व मोजा पटवारी ने दिनांक

..... 2पर



पेज 28

1. 9. 2016 के पंचनामा व प्रतिवेदन खातेदार कृष्णदास निगरानीकर्ता की पीठ पीछे गुप्त रूप तौर पर तैयार कर तहसीलदार महोदय, को प्रेषित कर दिये, तहसीलदार महोदय, की यह कार्यवाही पंचनामा प्रतिवेदन एवम कार्यवाही का प्रोसिड अवेय, विद्याराधिकार रहित इनलिगल व इर रेग्युलर है, दिये गये अधिकारों का दुरुपयोग है, जिसकी जानकारी निगरानीकर्ता को गाँव में मोजा पटवारी से चर्चा करने के दौरान दिनांक 24.10.2016 को मिली जैसे ही निगरानीकर्ता ने तहसील न्यायालय में आकर मामले की तलाश कर प्रतिलिपी प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र पेश किया तो प्रति लिपी दिनांक 26-10-2016 को पंचनामा प्रतिवेदन व आवेदन पर दिये गये आदेश की प्राप्त हुई तब निगरानीकर्ता को ज्ञान हुआ जैसे ही यह निगरानी निम्न आधारों पर जानकारी दिनांक व नकल प्राप्ती दिनांक की दरमियानी अवधि म्याद में मुजरत के प्रार्थना पत्र सहित विधी अनुसार सादर सद्भावनापूर्वक गुण दोष पर निराकरण हेतु प्रस्तुत है :-

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
<p>22.2.2017</p>	<p>आवेदन की ओर ले श्री अजय श्रीवास्तव अभिभाषक उपस्थित। उपस्थित हुए सुना गया। प्रस्तुत तर्कों को पार्टी में तहलीलदा की गई है। देखा जा रहा है कि वे प्रकरण में शीघ्र आदेश पारित करने के पूर्व आवेदन की सुनवाई का समुचित अवसर उपलब्ध कराये। इस प्रस्ताव में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">अध्यक्ष</p>	<p style="text-align: right;">  अभिभाषक 22/02/2017 </p>

[Handwritten mark]